

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

राजेश कुमार

बनाम कनीराम दांडी

दावा बाबत :- 88 Kt Bct

मुकदमा नम्बर :- 53/2023

निर्णय दिनांक :- 12.06.2023

वादी की ओर से वकील सुरेन्द्र खनीवाल की व प्रतिवादी सं० 1/72 की ओर से वकील सुरेन्द्र खनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.06.2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बुंदेर के खेतों सं० 28167 के खेतरा सं० 146 की 1.0870 है वारानी इति भूमि में उखियाडी सं० 1 कनीराम के नाम दर्ज वादग्राम में उखियाडी सं० 1 का नाम कलमजुन कर वाडी राजेश कुमार को खेतदार घोषित किया जाता है तथा ग्राम गढ़रा के खेत सं० 10162 के खेतरा सं० 124 की 2.9470 है वारानी, खेतरा सं० 27 की 5.4880 है वारानी, खेतरा सं० 433 की 3.4400 है वारानी कुल 11.875 है वारानी वादग्राम में उखियाडी सं० 1 कनीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से उखियाडी सं० 1 कनीराम के खेत उखियाडी सं० 1 कनीराम को 1/9 हिस्सा व वाडी राजेश कुमार को 5/36 हिस्सा भूमि में खेतदार घोषित किए जाते हैं। राजीनामा को पत्रा डिक्री का भाग पदा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। यह पत्रा डिक्री आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



शिविर प्रभारी  
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़